जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाषः +91-612-250 4980, फैक्सः +91-612-250 4960, वेबसाइटः www.brlps.in

Ref—BRLPS/Proj – comm/950/16/1800 Date – 28.7.22

कार्यालय आदेश

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के निदेशानुसार 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक " हर घर तिरंगा " कार्यक्रम का आयोजन किया जाना हैं। निदेशक, सांस्कृतिक कार्य- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश–पत्रांक-2/ वि.60-84/2022/ 223 दिनांक 20.07.2022 **(अनुलग्नक)** के निदेशानुसार यह निदेशित किया गया है कि इस कार्यक्रम हेतु सभी जिला पदाधिकारी, जीविका स्वयं सहायता समूह, सरकारी बुनकर समितियाँ अथवा स्थानीय दर्जियों के माध्यम से ध्वज का निर्माण कराकर कार्यक्रम संपन्न कराएँगे।

पूर्व में भी समूह सदस्यों द्वारा कोविड महामारी संक्रमण के दौरान मास्क का निर्माण करके विभिन्न विभागों को आपूर्ति की गयी है। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त मांग के अनुसार सम्बंधित जिला परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा संकुल संघ/ सिलाई यूनिट /ग्राम संगठन एवं दीन दयाल ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से झंडा निर्माण कर उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा माँग के अनुरूप इसकी भुगतान की जाएगी।

प्राप्त निदेशानुसार ध्वज निर्माण से सम्बंधित निम्न दिशा-निदेश का अनुपालन किया जाना है :-

1. **झंडा बनाने का तकनीकी माप :-**

कपड़े का प्रकार	तिरंगा का डिज़ाइन	कपड़े की माप	
		कटने वाले कपडे का लम्बाई एवं चौड़ाई (इंच में)	तैयार ध्वज की लम्बाई एवं चौड़ाई (इंच में)
सूती कपड़ा	3 रंग (ऊपर केसरिया मध्य में श्वेत और सबसे नीचे हरा, श्वेत रंग की पट्टी में नीले रंग का एक चक्र) से बना हुआ भारतीय झंडा	22 x 33.5	20 x 30
		18 x 27	16 x 24
		08 x 11	06 x 09

2. **माप के अनुसार झंडा को बनाने का अनुमानित लागत:**

2.1. **एक झंडा को बनाने का अनुमानित लागत, आकार - 20" x 30"**

विवरणी	**मात्रा**	**दर(₹ में)**	**कुल लागत (₹ में)**	**अभियुक्ति**
कपड़ा	0.6 मीटर	45/ मीटर	27	3 मीटर कपड़े से 5 झंडा बनाया जा सकता है।
सिलाई	1	7	7	₹ 6 – सिलाई, ₹1- कपड़ा कटाई, पैकेजिंग
चक्र प्रिंटिंग	1	2	2	₹2/ चक्र प्रिंटिंग
ग्राम संगठन का प्रोत्साहन राशि	1	1	1	
कुल			**37**	

2.2. **एक झंडा को बनाने का अनुमानित लागत, आकार- 16" x 24"**

विवरणी	**मात्रा**	**दर(₹ में)**	**कुल लागत (₹ में)**	**अभियुक्ति**
कपड़ा	0.48 मीटर	45/ मीटर	21.6	3 मीटर कपड़े से 6 झंडा बनाया जा सकता है।
सिलाई	1	6	6	₹ 5 – सिलाई, ₹1- कपड़ा कटाई, पैकेजिंग
चक्र प्रिंटिंग	1	2	2	₹2/ चक्र प्रिंटिंग
ग्राम संगठन का प्रोत्साहन राशि	1	1	1	
कुल			**30.60 = 31**	

2.3. **एक झंडा को बनाने का अनुमानित लागत, आकार - 06" x 09"**

विवरणी	**मात्रा**	**दर(₹ में)**	**कुल लागत (₹ में)**	**अभियुक्ति**
कपड़ा	0.18 मीटर	45/ मीटर	8.1	3 मीटर कपड़े से 12 झंडा बनाया जा सकता है।
सिलाई	1	4	4	₹ 3 – सिलाई, ₹1- कपड़ा कटाई,. पैकेजिंग
चक्र प्रिंटिंग	1	2	2	₹2/ चक्र प्रिंटिंग
ग्राम संगठन का प्रोत्साहन राशि	1	0.5	0.5	
कुल			**14.6 = 15**	

3. **झंडा निर्माण हेतु निधि की व्यवस्था**

झंडा निर्माण में होने वाले परिचालन-खर्च हेतु निम्न स्रोतों से प्राथमिकता के आधार पर पूँजी उपलब्ध कराया जायेगा:-

- जीविका दीदियों ने COVID-19 से बचाव हेतु मास्क निर्माण का कार्य किया था और उससे सामुदायिक संगठनों (संकुल स्तरीय संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह) के स्तर पर एक फण्ड कोष तैयार हुआ जिसका प्रयोग करके दीदियाँ ध्वज निर्माण का कार्य करेंगी |
- जिस भी संकुल स्तरीय संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह में ध्वज निर्माण हेतु निधि की उपलब्धता नही है । जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा DISTRICT INNOVATION FUND से माँग के अनुसार 05 लाख रूपये प्रति झंडा निर्माण केंद्र राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि किसी प्रखंड में संकुल स्तरीय संघ के पास आवश्यक पूँजी नहीं उपलब्ध्र है, तो अपने निकटवर्ती संकुल स्तरीय संघ अथवा सम्बंधित ग्राम-संगठनों से पूँजी की माँग ऋण के रूप में की जायेगी। झंडा उत्पादन से सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ/ग्राम-संगठन द्वारा लिए गए सभी पारस्परिक ऋण-वापसी हेतु मूलधन एवं ब्याज के भुगतान पर 3 महीने का मोरेटोरियम होगा एवं 1% ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।

4. **झंडा निर्माण हेतु कपड़ों की खरीददारी**

झंडा निर्माण केंद्र पर झंडा निर्माण हेतु कपड़ों की खरीददारी सामुदायिक खरीददारी प्रणाली के नियमानुसार करनी है।

5. **पुस्तकों का लेखांकन**

- झंडा निर्माण एवं आपूर्ति से सम्बंधित सभी विवरणी का लेखांकन सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ/ग्राम-संगठन/उत्पादक समूह के रोकड़ बही में किया जाना है।
- रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि झंडा उत्पादन से सम्बंधित प्राप्ति ('झंडा व्यवसाय सम्बन्धी प्राप्ति' नाम के हेड से) और भुगतान ('झंडा उत्पादन सम्बन्धी व्यय' नाम के हेड से) किया जाएगा।
- सम्बंधित मास्टर लेखापाल (मास्टर बुक-कीपर)/ लेखापाल (बुक-कीपर) द्वारा पुस्तकों का लेखांकन किया जाएगा ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

27.7.2

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना।

2048
Supriya
21.7.22

पत्रांक–2 / वि.60–84 / 2022–................ /

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

PC/CGKM

प्रेषक,

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

पटना, दिनांक ..../2022

विषय:– आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के संबंध में।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
21 JUL 2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम हेतु राज्य के सभी जिलों को राशि उपलब्ध कराने से संबंधित स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है।

उक्त राशि से जिला पदाधिकारी, जीविका स्वयं सहायता समूह, सरकारी बुनकर समितियाँ अथवा स्थानीय दर्जियों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कराकर कार्यक्रम सम्पन्न करायें तथा सम्पन्न कार्यक्रम का फोटो आजादी का अमृत महोत्सव के बेवसाईट–amritmahotsav.nic.in एवं amritmahotsav.bih.nic.in पर अपलोड किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञापांक 223/ पटना, दिनांक 20/07/2022

प्रतिलिपि:– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / परियोजना निदेशक–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–निदेशक, जीविका, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।